

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2216 / 37 / बन्दो / 2020-21,

रामनगर, दिनांक, दिसम्बर, 17, 2020

सेवा में,

अधिरासी अभियंता
अस्थायी खण्ड (प्र०प०)
लो०नि०वि० चन्दौली।

विषय : जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ़-धनकुवारीकलां से केसार सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 22.80 किमी० तक प्रभावित 19.62 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 2239/11-सी० दिनांक 28.05.2019 तथा इस कार्यालय का पत्र संख्या-1176/37/बन्दो, दिनांक 19.09.2020

महोदय,

जनपद चन्दौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगढ़-धनकुवारीकलां से केसार सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 22.80 किमी० तक प्रभावित 19.62 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्ताव MoEF&CC की वेबसाइट पर आनलाइन किया गया है। ऑन लाइन अपलोड किये गये जिओरिफ्रेन्सियल मैप पर अंकित जी०पी०एस० एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा उपलब्ध कराये गये जी०पी०एस० में भिन्नता पायी गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ के द्वारा प्रेषित जी०पी०एस० के अनुसार जिओरिफ्रेन्सियल मैप तैयार कर आपत्ति का निराकरण करते हुए MoEF&CC की वेबसाइट पर आनलाइन कर संशोधित प्रस्ताव की हार्ड कापी पाँच प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी

पत्रांक : 2216 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र०, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, वृत्त, लो०नि०वि०, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।